महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा की वर्श 2012–13 की वार्शिक प्रषासनिक रिपोर्ट

———

महिलाओं एवं बच्चों के समुचित विकास के लिए तथा उनसे संबधित योजनाओं को विस्तृत रूप देने के लिए महिला एवं बाल विकास कार्यरत है। विभाग द्वारा राज्य व केन्द्र स्तर पर सीधे नियन्त्रण में तथा इसके संरक्षण में कार्य कर रहे हरियाणा महिला विकास निगम, हरियाणा राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड तथा हरियाणा महिला आयोग की वित्तीय सहायता देकर अन्य एजैसियों के माध्यम से चलाई गई । वर्श 2012–13 के दौरान चलाई गई योजनाओं तथा कार्यक्रमो का ब्यौरा निम्न प्रकार हैः–

बजट व्यवस्था

महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा के वर्श 2012–13 के मूल बजट में कुल 687.83 करोड़ रू0 की राषि की व्यवस्था की गई, जिसमें से 242.92 करोड़ रू0 स्टेट प्लान, 337.23 करोड़ रू0 सैन्ट्रल प्लान तथा 107.68 करोड़ रू0 नान प्लान षीर्शो के अन्तर्गत रखे गये। विभाग का संषोधित बजट 677.70 करोड़ रू0 था, इसमें से 266.00 करोड़ रू0 स्टेट प्लान 303.06 करोड़ रू0 सैन्ट्रल प्लान तथा 108.63 करोड़ रू0 नान प्लान षीर्शों के अन्तर्गत रखे गए। वर्श 2012–13 में स्टेट प्लान के अन्तर्गत 254.75 करोड़ रू0, सैन्ट्रल प्लान के अंर्तगत 285.44 करोड़ रू0 तथा नॉन प्लान के अन्तर्गत 104.16 करोड़ रू0 अर्थात कुल 644.35 करोड़ रू0 विभिन्न योजनाओं पर व्यय किए गए। वर्श 2012–13 के दौरान बजट व्यवस्था एवं व्यय विवरण परिषिश्ट 'क' पर दिया गया है। विभाग द्वारा चलाई गई योजनाओं तथा कार्यक्रमो का विवरण निम्न प्रकार से है :–

1. लाडली

इस योजना के अन्तर्गत परिवार में दूसरी बेटी के जन्म पर माता–पिता को 5000/–रू0 प्रति वर्श 5 वर्श तक दिए जाते हैं। हरियाणा के निवासी/अधिवासी सभी माता–पिता, जिनकी दूसरी बेटी 20–8–2005 को या इसके बाद पैदा हुई है, बिना किसी जाति/समुदाय/धर्म/आय एवं बेटों की संख्या के भेदभाव के, इस नकद प्रोत्साहन के पात्र हैं। इस योजना के अंतर्गत राषि को अगस्त, 2008 से लाभपात्रों को अधिक लाभ पहुंचाने के लिये भारतीय जीवन बीमा निगम की एक योजना में निवेष करना आरम्भ किया है। इस राषि को दूसरी बेटी के नाम माता/पिता/संरक्षक के माध्यम से निवेष किया जाता है। परिपक्व राषि छोटी बेटी की 18 वर्श की आयु पूर्ण होने एवं अविवाहित रहने पर वर्तमान ब्याज दरों पर लगभग 96000/–रू0 दी जाएगी।

इस योजना के अन्तर्गत वर्श 2012–13 में 6981.84 लाख रू0 की राषि व्यय की गई तथा 137883 परिवारों को योजना का लाभ प्रदान किया गया जिसमे पिछले वर्शो 2007–08 से 2011–12 के लाभपात्रों को दी गई किस्तें भी षामिल हैं ।

2. समेकित बाल विकास सेवाएं योजना

केन्द्रीय प्रायोजित समेकित बाल विकास सेवाएं योजना के अन्तर्गत राज्य में 6 वर्श से कम आयु के बच्चों एवं गर्भवती व दूध पिलाने वाली माताओं तथा 15–45 वर्श आयु की अन्य महिलाओं को पूरक पोशाहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, संदर्भित सेवाएं, स्वास्थ्य एवं पोशाहार षिक्षा तथा अनौपचारिक पूर्व स्कूल षिक्षा की सेवाऐं समेकित रूप से प्रदान की जाती हैं।

इस योजना के निम्नलिखित उद्देष्य हैंः–

- 6 वर्श की आयु तक के बच्चों की पोशण तथा स्वास्थ्य स्थिति में सुधार लाना।
- बच्चों के उचित मनोवैज्ञानिक, षारीरिक और सामाजिक विकास के लिए नींव रखना।
- मृत्युत्ता, मानसिक अस्वस्थता, कुपोशण और स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में कमी करना।
- बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों के बीच नीति और क्रियान्वयन में प्रभावकारी समन्वय करना।
- उचित पोशाहार और स्वास्थ्य षिक्षा द्वारा बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य और पोश्टिक आवष्यकताओं की देखभाल के लिए माताओं को योग्य बनाना।

आई. सी. डी. एस. परियोजनाओं एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या का जिलावार व्यौरा निम्न प्रकार से हैः–

जिला	आई.सी.डी.एस. प्रोजैक्टों की संख्या	आगंनवाड़ी केन्द्रों की संख्या	
		स्वीकृत	कार्यरत
अम्बाला	7	1218	1213
भिवानी	12	1916	1916
फरीदाबाद	6	1294	1294
गुड़गांव	6	1033	1015
हिसार	10	1763	1740
जीन्द	9	1439	1439
कुरूक्षेत्र	6	1075	1075
करनाल	7	1482	1482
नारनौल	6	1201	1167
पानीपत	6	1045	1032
पंचकुला	4	534	534
रोहतक	6	1004	1004
रेवाड़ी	6	1099	1009
सोनीपत	9	1482	1479

सिरसा	8	1377	1177
यमुनानगर	7	1281	1241
फतेहाबाद	6	1072	1060
झज्जर	7	1130	1130
कैथल	7	1264	1263
मेवात	7	1150	1102
पलवल	6	1108	1108
कुल	**148**	**25962**	**25570**

जिलावार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं आंगनवाड़ी सहायिकाओं के स्वीकृत एवं भरे हुए पदों का विवरण निम्न प्रकार है :–

(मार्च, 2013 की स्थिति)

क्र.स.	जिला का नाम	आंगनवाड़ी कार्यकर्ता		आंगनवाड़ी सहायिका	
		स्वीकृत पद	भरे हुए पद	स्वीकृत पद	भरे हुए पद
1.	अम्बाला	1218	1213	1168	1146
2.	भिवानी	1916	1916	1883	1857
3.	फरीदाबाद	1294	1294	1279	1256
4.	गुड़गांव	1033	1015	1006	1002
5.	हिसार	1763	1740	1722	1659
6.	जीन्द	1439	1439	1434	1432
7.	कुरूक्षेत्र	1075	1075	1044	1030
8.	करनाल	1482	1482	1457	1454
9.	नारनौल	1201	1167	1161	1147
10.	पानीपत	1045	1032	1027	1013
11.	पंचकुला	534	534	401	379
12.	रोहतक	1004	1004	1000	951
13.	रेवाड़ी	1099	1099	1078	1064
14.	सोनीपत	1482	1479	1480	1466
15.	सिरसा	1377	1177	1313	1271
16.	यमुनानगर	1281	1241	1205	1197
17.	फतेहाबाद	1072	1060	1038	1038
18.	झज्जर	1130	1130	1089	1052
19.	कैथल	1264	1263	1242	1232

20	मेवात	1150	1102	1072	1072
21	पलवल	1108	1108	1088	1059
	कुल	**25699**	**25570**	**25187**	**24777**

राज्य की 148 परियोजनाओं में 25570 आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से 1100246 छः मास से छः वर्श आयु तक के बच्चों जिसमें 514669 लड़कियां हैं, को तथा 156263 गर्भवती महिलाओं एवं 169607 दूध पिलाने वाली माताओं को पूरक पोशाहार दिया गया।

आगंनवाडी केन्द्रों के 0–6 वर्श के 459803 बच्चों को पोलियो, व डी.पी.टी, 452502 बच्चों को बी.सी.जी., 481434 बच्चों को मीज़ल के टीके तथा 419928 गर्भवती महिलाओं को टी.टी. के टीके लगवाए गए। वर्श के दौरान 398875 बच्चों को अनौपचारिक पूर्व स्कूली षिक्षा के अन्तर्गत लाभ प्रदान किया गया।

पद्ध **आई.सी.डी.एस. योजना को सुदृढ़ तथा पुर्नगठन करना**

भारत सरकार द्वारा आई.सी.डी.एस. योजना को चरणबद्ध तरीके से सुदृढ़ तथा पुर्नगठन किया गया। जिसमें विभिन्न कार्यक्रम प्रबन्धन तथा संस्थागत सुधार, नार्मज में बदलाव तथा 12वीं पंचवर्शिय योजना में आई.सी.डी.एस. योजना को मिषन मोर्ड में लागू करना षामिल है। इस उदेष्य के लिए भारत सरकार द्वारा 5 जिलों नामतः फरीदाबाद, कैथल, गुड़गांव, पानीपत तथा यमुनानगर का चयन किया गया । इन जिलों में प्रथम चरण में गर्भवती एंव दूध पिलाने वाली माताओं, बच्चों तथा किषोर बालिकाओं के लिए पौशाहार की संषोधित दरे लागू की जाएगी। इन जिलों में बच्चों को 6/– रू0 प्रति बच्चा , 7/– रू0 प्रति गर्भवती व दूध पिलाने वाली माता तथा 9/– रू0 प्रति अत्याधिक कुपोशित बच्चों की दर से पूरक पौशाहार प्रदान किया जाएगा।

पपद्ध **पूरक पोशाहार**

राज्य सरकार द्वारा पूरक पोशाहार जिसमें निर्धारित नोर्मज के अनुसार ओसत पोशक तत्व महिलाओं एवं किषोरी बालिकाओं के लिए 600 कैलोरिज एवं 18–20 ग्राम प्रोटीन, बच्चों के लिए 500 कैलोरिज एवं 12–15 ग्राम प्रोटीन, तथा अति कुपोशित बच्चों के लिए 800 कैलोरिज एवं 20–25 ग्राम प्रोटीन, 5/–रू0 की दर से प्रति गर्भवती व दूध पिलाने वाली माता एवं किषोरी बालिकाओं को, 4/–रू0 की दर से प्रति बच्चा एवं 6 रू0/– की दर से प्रति अति कुपोशित बच्चे को प्रदान किया गया।

पूरक पोशाहार कार्यक्रम को लागू करने के लिए भारत सरकार से ूमंज ठेंमक छनजतपजपवद च्तवहतंउउम ;ठछच्द्ध के तहत अनाज की खरीद सस्ती दरों पर की गई। यह अनाज आंगनवाडी केन्द्रों मे कन्फैड तथा हैफेड के माध्यम से सप्लाई किया गया। सस्ती दरों पर अनाज की खरीद बच्चों, गर्भवती व दूध पिलाने वाली माताओं तथा किषोरी बालिकाओं के पोशण स्तर मे सुधार लाऐगा। सरकार द्वारा आकर्शक रैस्पीज जैसे की

आलू पूरी, भरवां परांठा तथा गुलगले दिये गये । 3 से 6 वर्श के बच्चों को दिन में दो बार डवतदपदह ैदंबो ंदक त्महनसंत भ्वज ब्ववामक डमंस दिया गया । 3 वर्श से कम आयु के बच्चों एवं गर्भवती व दूध पिलाने वाली माताओं को जंम भ्वउम त्ंजपवद ;ज्भ्त्द्ध दिया गया। कार्यक्रम में पारदर्षिता, उत्तरदायित्व तथा समुदाय की भागीदारी सुनिष्चित करने के लिए खाद्य पदार्थों को आंगनवाड़ी केन्द्रों में ही स्टोर करना एवं बनाया जाना सुनिष्चित किया गया ।

पंजीरी प्लांटः– राज्य में 2 पंजीरी प्लांट गुड़गांव तथा घरौण्डा में चलाये जा रहे हैं जिनमें समेकित बाल विकास सेवायें योजना के लाभपात्रों के लिए पौश्टिक पंजीरी तैयार की जाती है। इन पंजीरी प्लांटों में वर्श 2012–13 में कुल 18309.44 क्विंटल पंजीरी का उत्पादन किया गया।

पंजीरी प्लांट गुड़गांव में 8510.14 क्विंटल पंजीरी का उत्पादन तथा घरौण्डा में 9799.30 क्विंटल पंजीरी का उत्पादन किया गया। वर्श 2012–13 में पंजीरी प्लांट, गुड़गांव 271 दिन तथा घरौण्डा प्लांट 285 दिन कार्यरत रहा।

पपपद्ध **आंगनवाड़ी केन्द्रों की लोकेषन**

कार्यरत आंगनवाड़ी केन्द्र	सरकारी भवनों में आंगनवाड़ी केन्द्र				गैर सरकारी भवनों में आंगनवाड़ी केन्द्र		
	विभागीय भवनों में	सरकारी भवनों में	स्कूलों में	कुल	समुदायिक भवनों में	गैर सरकारी /किराये के भवनों में	कुल
25403	3167	2044	3516	8727	9102	7574	16676

पअद्ध **आंगनवाड़ी केन्द्रों में सामाग्री**

- 1875 आंगनवाड़ियों मे 207.00 लाख रु0 की राषि आई0सी0डी0एस0 स्कीम के तहत राज्य फण्ड से रंगदार व आकर्शक मेज व कुर्सियां उपलब्ध करवाई गई है।
- 15319 आंगनवाडी केन्द्रों मे 13.74 लाख रु0 की राषि की रंगदार व आकर्शक अनौपचारिक पूर्व स्कूली षिक्षा किट सप्लाई की गई है।
- सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों में लाभपात्रों के लिये 77.86 लाख रू0 की राषि की दवाईयॉ उपलब्ध करवाई गई।
- राज्य सरकार द्वारा 3375 झूले 121.98 लाख रू0 की लागत से उपलब्ध करवाये गए।
- 48.62 लाख रू0 की राषि से 8255 आंगनवाड़ी केन्द्रों में वेंईग स्केल उपलब्ध करवाये है।

अद्ध **आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व हैल्परों का मानदेय**

आंगनवाडी कार्यकर्ताओं को 5000/–रू0 प्रतिमाह की दर से मानदेय दिया गया (2700 रू0 केन्द्रीय हिस्सा एवं 300 रू0 राज्य हिस्सा जो कि 90:10 के अनुपात में है

इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा 2000 रू0 प्रतिमाह) आंगनवाड़ी हैल्परो को 2500 रू0 प्रतिमाह की दर से मानदेय दिया गया (केन्द्र और राज्य सरकार का 90:10 के अनुपात में 1500 रू0 और 1000 रू0 राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त) आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और हैल्परों की सेवानिवृति आयु 58 वर्श से बढ़ाकर 60 वर्श कर दी गई है । भारत सरकार द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को युनिफार्म (दो साड़ियों के 200 रू0 प्रति माह की दर से) तथा बैज उपलब्ध करवाये गये ।

राज्य सरकार द्वारा सुपरवाईजरस के लिए सर्कल कार्यालय की स्थापना तथा मोबाईल फोन के प्रावधान का अनुमोदन किया गया ।

पअद्ध **साक्षर महिला समूह**

साक्षर महिला समूहो द्वारा गांव में मुख्य मुद्दे जैसा कि लिंग अनुपात, साक्षरता, प्राथमिक षिक्षा का सर्वभौमीकरण, स्वास्थ्य तथा पोशाहार षिक्षण, महिलाओं को आर्थिक सषक्तिकरण के अवसर, स्वच्छता एवं सफाई, पर्यावरण व सरकार द्वारा चलाई जा रही महिलाओं व बालिकाओं एवं बच्चों व ग्रामीण समुदाय के विकास की योजनाओं आदि के बारे चेतना जागृत की गई। वर्श 2012–13 में 6279 साक्षर महिला समूहो पर 15 लाख रू0 व्यय किए गए।

अद्ध **दिवस एवं सप्ताह**

वर्श 2012–13 के दौरान राज्य में स्तनपान सप्ताह, राश्ट्रीय पोशाहार सप्ताह, बाल दिवस एवं अन्तर्राश्ट्रीय महिला दिवस आदि मनाए गए। 1 से 7 अगस्त 2012 तक विष्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया जिसका थीम श्जंपदह ेजवबा वि च्वसपबमे ंदक चतवहतंउेश था। इस अवसर पर गांव व ब्लॉक स्तर पर स्वास्थ्य अमले के सहयोग से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा स्तनपान के बारे में प्रचार किया गया। 1 से 7 सितम्बर 2012 तक मनाये गये राश्ट्रीय सप्ताह पोशाहार सप्ताह की थीम ''पौशण जागरूकता स्वस्थ राश्ट्र की कुंजी'' था। इस अवसर पर अच्छे भोजन के बारे में गांव स्तर पर कैम्प लगा कर तथा ब्लॉक स्तर पर विभिन्न ष्लोगन प्रतियोगिता, कम मुल्य की रैस्पी व गर्भवती व दूध पिलाने वाली माताओं व बच्चों की पोशाहार आवष्यकता बारे प्रचार किया गया।

24 जनवरी 2013 को राजकीय कन्या महाविद्यालय, सैक्टर–14, पंचकूला में राश्ट्रीय बालिका दिवस समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में 29 बालिकाओं को विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धी जैसा कि सलोगन प्रतियोगिता तथा हरियाणा षिक्षा बोर्ड की 10वीं व 12वीं कक्षा में बहुत अच्छे अंक प्राप्त करने पर माननीय महिला एंव बाल विकास मन्त्री द्वारा प्रोत्साहित किया गया।

अपद्ध **आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पुरस्कार**

वर्श 2012–13 में 5000/–रू0 की दर से 19 प्रोजैक्टों की 26 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किए गए तथा इसमें 3 कार्यकर्ताओं का मैरिट आधार पर चयन किया गया, जिनके नाम भारत सरकार को राश्ट्रीय पुरस्कार हेतू भेजे गए। इस योजना के अन्तर्गत 151000/– रू0 की राषि राज्य स्तरीय पुरस्कारों के लिए स्वीकृत की गई, जिसमें से 130000/– रू0 पुरस्कारों के रूप में तथा 21000/– रू0 जिला स्तर पर पुरस्कार वितरण समारोह के आयोजनो पर व्यय किये गये।

अपपद्ध **आई0सी0डी0एस0 योजना के अन्तर्गत व्यय**

वर्श 2012–13 के दौरान आई.सी.डी.एस. योजना पर राज्य स्तर एवं केन्द्र स्तर में किए गए व्यय का विवरण निम्न प्रकार हैः–

(लाख रू0 में)

योजना	**स्टेट प्लान**	**सैन्ट्रल प्लान**	**नॉन प्लान**	**कुल**
आई.सी.डी.एस.	2837.41	19264.38	9240.72	31342.41
पूरक पोशाहार	7650.55	7650.55	108.58	15409.68
कुल	**10445.49**	**26914.93**	**9349.30**	**46710.72**

टप्प्द्ध **बीमा योजना– आंगनवाड़ी कार्यकत्री बीमा योजना**

भारतीय जीवन बीमा निगम तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से आंगनवाडी कार्यकताओं तथा हैल्परों के लिए बीमा योजना का संचालन किया गया। यह योजना 18–59 के आयु वर्ग की आंगनवाडी वर्कर व हैल्पर के लिए 2013 तक निषुल्क है। वर्श 2012–13 में प्राकृतिक मृत्यु के 22, दुर्धटना मे मृत्यु के 4, गम्भीर बिमारी के 5 लाभ पात्रो को 10 लाख 60 हजार रू0 की राषि प्रदान की गई।

षिक्षा सहयोग योजनाः– योजना के तहत बीमित सदस्यों के बच्चों के लिए मुफ्त ऐड आन छात्रवृति लाभ उपलब्ध है जहां 9वीं से 12वीं कक्षा (आई0टी0आई0 कोर्सिज भी षामिल है) के विद्यार्थियों को 100/– रूपये महीना छात्रवृति दी जाती है जोकि परिवार के दो बच्चों तक सीमित है। योजना के अन्तर्गत 1173 लाभ पात्रो को लगभग 14 लाख रू0 की राषि दी गई।

सुरक्षित भविश्य योजना

राज्य सरकार द्वारा आंगनवाड़ी वर्करों तथा हैल्परों के कल्याण हेतु सुरिक्षत भविश्य योजना के अंतर्गत वर्श 2012–13 में 478.00 लाख रूप्ये की राषि व्यय की गई तथा 20553 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व 19268 हैल्पर को लाभ प्रदान किया गया ।

पगद्ध **आई.सी.डी.एस. कार्यकताओं हेतु प्रषिक्षण प्रोग्राम**

आई0सी0डी0एस0 कार्यकर्ताओं को प्रषिक्षण देना एक नियमित गतिविधि है तथा प्रषिक्षण देने के लिए राज्य में कुल 10 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र चलाये जा रहे है जिनमें से 8 हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद द्वारा तथा दो प्रषिक्षण केन्द्र कस्तूरबा गांधी राश्ट्रीय स्मारक निधि द्वारा रादौर में चलाए जा रहे हैं। वूमैन एवैयरनैस एण्ड मैनेजमैंट अकादमी (वामा), राई जिला सोनीपत के माध्यम से आई0सी0डी0एस0 सुपरवाईजरों के लिए एक मध्य स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र भी चलाया जा रहा है।

वर्श 2012–13 में 2536 आंगनवाडी कार्यकर्ताओं को कार्य प्रषिक्षण, 2386 हैल्परज को ओरियनटेषन कोर्स तथा 388 हैल्परों को रिफ्रैषर प्रषिक्षण दिलावाया गया। इसके अतिरिक्त 259 आंगनवाडी कार्यकर्ताओं तथा 365 सुपरवाईजरों को रिफ्रेषर प्रषिक्षण दिलवाया गया। 5 बाल विकास परियोजना अधिकारियों को निपसिड, नई दिल्ली में जॉब प्रषिक्षण तथा 26 बाल विकास परियोजना अधिकारियों को रिफ्रेषर प्रषिक्षण दिलवाया गया। विभाग द्वारा नियमित प्रषिक्षण गतिविधियों हेतू 223.75 लाख रु0 जारी किए जिसका व्यय ब्योरा निम्न प्रकार हैः–

वर्श 2012–13 में संस्थाओं को प्रदान की गई राषि का ब्यौरा निम्न प्रकार से हैः–

क्रमांक	**संस्था का नाम**	**राषि** ;लाख रूपए में द्ध
1.	हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिशद, चण्डीगढ़	173.65

2.	कस्तूरबा गांधी नैषनल मैमोरियल ट्रस्ट, रादौर I व II	36.00
3.	मिडल लेवल ट्रेनिंग सैन्टर, वामा, राई, (सोनीपत)	14.10
	कुल	**223.75**

3. आँगनवाड़ी भवनों का निर्माण

बच्चों को स्वच्छ एवं साफ–सुथरा वातावरण प्रदान करने एवं उनके लिए एक परिसम्पति सृजित करने हेतू से आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण की योजना प्रारम्भ की गई। सरकार द्वारा यह महसूस किया गया कि आंगनवाड़ी केन्द्रों को अपने भवनों में चलाये जाने से महिलाओं तथा बच्चों से संबंधित योजनाओं को अच्छे तरीके से लागू किया जा सकता है। इस उदेष्य की पूर्ति की लिये 8.50 लाख रू0 प्रति आगनवाडी केन्द्र की दर से भवन निर्माण की योजना के अन्तर्गत 580 आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण के लिए 49. 30 करोड़ रू0 की राषि राज्य के अतिरिक्त उपायुक्तों को जारी की गई ।

4. किषोरी षक्ति योजना

यह योजना राज्य के 87 आई.सी.डी.एस. प्रोजैक्टों में चलाई गई। स्कीम के अन्तर्गत सेवाएं 10 प्रतिषत आंगनवाड़ी केन्द्रों में 6 मास के लिए 20 किषोरी बालिकाओं का बालिका मण्डल बनाकर प्रदान की गई। लड़कियों को 5.00 रू0 प्रतिदिन प्रति लाभपात्र की दर से पूरक पोशाहार भी दिया गया। इस योजना के अन्तर्गत वर्श 2012–13 में 335.43 लाख रू0 व्यय किए गए जिसमें से 278.02 लाख रू0 पूरक पोशाहार पर राज्य सरकार के हिस्से के रूप में व्यय किए गए। योजना के अन्तर्गत 60900 बालिकाओं को पूरक पोशाहार और 61004 बालिकाओं को गृह आधारित कुषलताओं पर प्रषिक्षण देने के साथ–2 स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोशाहार एवं बाल देखभाल आदि के ज्ञान से सुसज्जित किया गया।

5. किषोरी बालिकाओं के सषक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना (सबला)

यह योजना 6 जिलों अम्बाला, हिसार, रिवाड़ी, रोहतक, यमुनानगर तथा कैथल में चलाई गई । इस योजना से किषोरी बालिकाओं को अपनें विकास तथा सषक्तिकरण, जीवन निपुणता तथा व्यवसायिक निपुणता को बढ़ाने, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोशाहार, प्रजनन स्वास्थ्य बाल देख–रेख के प्रति जानकारी में सक्षम किया गया तथा स्कूल न जाने वाली किषोरी बालिकाओं को ओपचारिक/अनौपचारिक षिक्षा प्रदान की गई। इस योजना के अंतर्गत पोशाहार के तहत 145519 बालिकाओं को लाभ दिया गया। इस योजना के अंतर्गत वर्श 2012–13 के बजट में 1067 लाख रू0 खर्च किए गए।

6. इन्दिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना

यह योजना पंचकूला जिले में पायलट परियोजना के रूप में चलाई गई। योजना के अन्तर्गत गर्भवती एंव दूध पिलाने वाली माताओं को उनके स्वास्थ्य एंव पोशाहार स्तर

को बढ़ाने हेतू 4000/– रू0 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। जिसके अन्तर्गत 1500/– रू0 की पहली किस्त गर्भ की दुसरी तिमाही पर यानि छः मास पूर्ण होने पर, दूसरी किस्त 1500/– रू0 प्रसूति के तीन माह उपरांत तथा तीसरी किस्त 1000/– रू0 दूध पिलाने वाली माता को जब बच्चा छः मास की आयु पूर्ण करता है, दी जाती है। योजना के अन्तर्गत 3680 माताओ को लाभ प्रदान किया गया तथा 46.20 लाख रू0 की राषि खर्च की गई।

7. राज्य बाल अधिकार सरंक्षण आयोग

राज्य सरकार द्वारा बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 17(1) के अंतर्गत राज्य बाल अधिकार सरंक्षण आयोग का गठन किया गया, जिसका मुख्यालय पंचकूला में होगा। आयोग द्वारा अपना कार्य करना षुरू कर दिया गया तथा आयोग के अध्यक्ष तथा दो सदस्यों की नियुक्ति कर दी गई।

8. समेकित बाल संरक्षण योजना (आई.सी.पी.एस.)

योजना के तहत जरूरतमंद बच्चों की देखरेख व कानून का उल्लंघन करने वाले किषोरों से संबंधित विभिन्न योजनाओं को कवर किया गया। यह कार्यक्रम हरियाणा स्टेट प्रोटेक्षन सोसाइटी के माध्यम से चलाया गया। जिला स्तर पर इस योजना को लागू करने के लिए जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला बाल संरक्षण समिति तथा जिला बाल संरक्षण कमेटी का गठन किया गया। राज्य स्तर पर स्टेट प्रोजेक्ट स्पोर्ट यूनिट की स्थापना की गई। बाल देखरेख सस्थानों का उचित मुल्यांकन तथा नियमित निरिक्षण हेतु जिला स्तर तथा राज्य स्तर निरिक्षण कमेटियों को अधिसूचित किया गया । जिला स्तर पर गठित कमेटियों द्वारा 20 तथा राज्य स्तर की कमेटियों द्वारा 125 निरिक्षण किये गये है। इस समय राज्य में कुल 101 बाल देखरेख संस्थायें स्वैच्छिक सस्थाओं द्वारा चलाई जा रही है।

राज्य सरकार द्वारा बच्चो तथा महिलाओ की देख रेख एवं संरक्षण के लिए निम्न होम/गृह चलाये गये।

पद्ध **ओबजरवेषन होम, करनालः—** राज्य में 18 वर्श से कम आयु की **विधि** का उल्लघंन करने वाली लड़कियों को ओबजरवेषन होम, करनाल में प्रवेष दिये जाने का प्रावधान है। ओबजरवेषन होम, करनाल में 25 लड़कियों की क्षमता है तथा जुवेनाईल जसिटस बोर्ड के आदेषों से किषोरियों को इस संस्था में प्रवेष देय है ।

पपद्ध **ओबजरवेषन होम, फरीदाबादः—** ओबजरवेषन होम, फरीदाबाद में जुवेनाईल जस्टिस बोर्ड के आदेषों से 25 लड़कों को प्रवेष दिया जा सकता है जिसके विरूद्व वर्श 2012—13 में संवासियों की संख्या 40 रही ।

पपपद्ध **ओबजरवेषन होम, अम्बाला तथा हिसारः**— अम्बाला में 71 तथा हिसार मे 40 संवासियों की क्षमता का ओबजरवेषन स्थापित करने हेतु अम्बाला में डेढ एकड़ भूमि राजस्व विभाग ने तथा हिसार में दो एकड़ एक मरला भूमि पषू पालन विभाग ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को निषुल्क दी है। ओबजरवेषन होम सोनीपत तथा विषेश गृह सोनीपत के संवासियो को अम्बाला मे स्थानतरिंत किया गया।

अपद्ध. **स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे गृहः—**

(क) आश्रय गृह, रिवाड़ी तथा छछरौली

आश्रय गृह, रिवाड़ी में संवासियों की क्षमता 25 तथा छछरौली में संवासियों की क्षमता 50 है जिसके विरूद्व वर्श 2012–13 में रिवाड़ी में 50 तथा छछरौली में 39 संवासियों को प्रवेष दिया गया ।

(ख) बाल गृह, रिवाड़ी तथा छछरौली

बाल गृह रिवाड़ी में 50 संवासियों तथा बाल गृह छछरौली में 100 की क्षमता के विरूद्व वर्श 2012–13 में बाल गृह, रिवाड़ी में 50 तथा बाल गृह, छछरौली में 96 संवासियों को प्रवेष दिया गया तथा 40.00 (स्वीकृत बजट) लाख रू0 सहायक अनुदान के रूप में स्वीकृत किए गए। बाल गृह/आश्रय गृह, छछरौली और रिवाड़ी को वर्श 2012–13 में 28.84 लाख रूपयें का सहायक अनुदान स्वीकृत किया गया।

राज्य के प्रत्येक जिले में संबंधित उपायुक्त की अध्यक्षता में बाल कल्याण समितियां गठित की गई है जो उपेक्षित बच्चों के मामलों में विचार करके उन्हें आश्रय गृह छछरौली/रिवाड़ी में प्रवेष हेतु भेजते है।

राज्य में निम्न स्वैच्छिक संस्थाओं को बच्चों को गोद देने हेतु प्लेसमेंट एजैन्सी के तौर पर नोटीफाईड किया गया है :–

1. हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिशद्, चण्डीगढ़ – बच्चों को देष/विदेष में गोद देने हेतु।
2. बाल ग्राम राई, सोनीपत – देष में गोद देने हेतु।

अपपद्ध बाल कल्याण के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा संचालित सहायक अनुदान से संबंधित स्कीमः–

पद्ध वैल्फेयर आफ स्ट्रीट चिल्ड्रन स्कीम

इस योजना के अन्तर्गत गलियों व फुटपाथों पर निम्न स्तर का कार्य करने वाले घुमक्कड़ बच्चे गैर सरकारी संस्थायें औपचारिक/अनौपचारिक षिक्षा, स्वास्थ्य जांच, पोशिटक आहार, व्यवसायिक प्रषिक्षण मुफ्त में उपलब्ध करवाया गया । प्रत्येक प्रोजैक्ट पर अधिकतम 2.96 लाख रू0 प्रथम वर्श में दिये जाते हैं तथा दूसरे वर्श में 2.51 लाख रू0 की राषि सहायक अनुदान के रूप में दी जाती है तथा एक प्रोजैक्ट में 100 बच्चों को कवर किया जाता है ।

पपद्ध निराश्रित एवं अनाथ बच्चों की सुरक्षा एवं देखभाल एवं अन्य बाल कल्याण योजनायें

राज्य सरकार द्वारा स्वैच्छिक संस्थायें जोकि निराश्रित एवं अनाथ बच्चों के पालन–पोशण, षिक्षण एवं प्रषिक्षण के कार्यक्रम चला रही है, को कुल व्यय का 90 प्रतिषत सहायता राषि सहायक अनुदान के रूप में प्रदान किया गया तथा षेश 10 प्रतिषत खर्चा संस्थाओं द्वारा स्वयं वहन किया गया । वर्तमान में योजना के तहत प्रत्येक

बच्चे के लिए 1000/–रू0 प्रतिमास प्रति बच्चा की दर से सहायक अनुदान के रूप में स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता राषि बच्चों के रख–रखाव हेतु दी गई। वर्श 2012–13 में स्वैच्छिक संस्थाओं को 30.62 लाख रू0 की सहायक अनुदान राषि 262 लाभपात्रों के लिए स्वीकृत की गई।

9. ग्रामीण किषोर बालिकाओं को पुरस्कार

बालिकाओं को षिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए '**ग्रामीण किषोर बालिकाओं को पुरस्कार**' की योजना आरंभ की गई । इस योजना के अन्तर्गत हरियाणा विद्यालय षिक्षा बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने पर प्रत्येक ग्रामीण खण्ड की तीन बालिकाओं को क्रमषः 2000/–रु0,1500/–रु0 व 1000/–रु0 पुरस्कार में दिए जाते हैं। इस योजना को संषोधित किया गया है जिसके अनुसार हरियाणा विद्यालय षिक्षा बोर्ड से 10+2 कक्षा में पहला, दूसरा व तीसरा स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को भी कवर किया गया है जिन्हें क्रमषः 3000/– रू0, 2500/– रू0 व 2000/– रू0 पुरस्कार स्वरूप दिए जाते हैं। इस योजना के अन्तर्गत वर्श 2012–13 में 5.54 लाख रू0 की राषि व्यय की गई तथा 369 लड़कियों को पुरस्कार दिए गए।

10. षिषु एवं छोटे बच्चों के आहार में सुधार

बच्चों में कुपोशण को समाप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा षिषु एवं छोटे बच्चों के आहार में सुधार योजना चलाई जा रही हैं। इस योजना के अन्तर्गत वर्श 2012–13 में 19.59 लाख रू0 की राषि योजना के प्रचार–प्रसार व्यय की गई।

11. सर्वोत्तम माता पुरस्कार

विभाग द्वारा बच्चों, विषेशकर लड़कियों के पोशण एवं स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाने हेतू उनके भली–भांति पालन–पोशण के प्रति माताओं को प्रोत्साहित करने के लिए सर्वोत्तम माता पुरस्कार (बैस्ट मदर अवार्ड) की योजना चलाई जा रही है। सर्कल स्तर पर 3 माताओं को प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान ग्रहण करने पर क्रमषः 500/–रू0, 300/–रू0 और 200/–रू0 के पुरस्कार दिए गए। सर्कल स्तर पर चुनी गई माताओं में से ही खण्ड स्तर पर पुरस्कारों के लिए माताओं को चुना गया। खण्ड स्तर पर 3 माताओं को प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान ग्रहण करने पर क्रमषः 1000/–रू0, 750/–रू0 और 500/–रू0 के पुरस्कार दिए गए। वर्श 2012–13 में कुल 3462 माताओं को पुरस्कार दिये गए तथा 26.77 लाख रू0 की राषि आई0सी0डी0एस0 स्कीम के अन्तर्गत व्यय की गई।

12. महिलाओं के लिए खेल–कूद प्रतियोगिता

महिलाओं के सषक्तिकरण एवं विष्वास निर्माण हेतू तथा खेल एवं मनोरजन के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए खण्ड स्तर, जिला स्तर व राज्य स्तर पर खेल

प्रतियोगता आयोजित करने की योजना चलाई जा रही है। योजना के अंतर्गत 30 वर्श के ऊपर की महिलाओं/लड़कियों के लिए आलू दौड़, मटका दौड, 100 मीटर दौड़ तथा 30 वर्श आयु से कम की लड़कियों/महिलाओं के लिए प्रतियोगिताओं में 300 मीटर की दौड़, 400 मीटर की दौड़ तथा 5 कि0मी0 साईकलिंग को षामिल किया गया है। वर्श 2012–13 में 3042 पुरस्कार प्रदान किये गये तथा 35.38 लाख रूपये की राषि खर्च की गई ।

13. घटते लिंग अनुपात में सुधार हेतु प्रोत्साहन पुरस्कार

घटते लिंग अनुपात में सुधार लाने वाले जिलो को प्रति वर्श प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने पर प्रोत्साहन पुरस्कार क्रमषः 5.00 लाख रु0, 3.00 लाख रु0 तथा 2.00 लाख रू0 दिये जाते है। यह धन राषि जिला प्रषासन द्वारा महिलाओं के विकास पर खर्च की जाती है। वर्श 2012–13 के दौरान प्रथम पुरस्कार कैथल को 4.00 लाख रू0 द्वितीय पुरस्कार महेंद्रगढ व सोनीपत को 2–2 लाख रू0 तथा तृतीय पुरस्कार जिला यमुनानगर को 2 लाख रू0 दिए गए ।

14. जैण्डर संवेदनषीलता कार्यक्रम

जैण्डर संवेदनषीलता कार्यक्रम का मुख्य उद्देष्य राज्य में घटते लिंग अनुपात को सन्तुलित करना, कन्या भ्रूण हत्या रोकना एवं समाज में बालिका का सामाजिक स्तर ऊपर उठाना एवं महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागृत करना है। आधारभूत स्तर पर सेवाप्रदाता जैसे कि बहु–उद्देषीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता, चिकित्सक, पुलिस आदि के कर्मचारी एवं पंचायती राज के सदस्य होते हैं, जिनको महिलाओं की जरुरतों एवं समस्याओं को अनुभव करने एवं उन्हें समझने की आवष्यकता होती है को प्रषिक्षण दिया गया। इस योजना के अन्तर्गत वर्श 2012–13 में 14.76 लाख रू0 की राषि व्यय की गई।

15. महिलाओं के लिए प्रषिक्षण तथा उत्पादन केन्द्र स्थापित करना ;छात्रवृति योजनाद्ध

स्वैच्छिक संस्थाएं/अर्ध सरकारी संस्थाएं/कल्याण संस्थाएं/प्रषिक्षण एवं अुनसांधन संस्थाएं जो हरियाणा राज्य में कार्य कर रही हैं तथा महिलाओं, बच्चों व किषोरों को कल्याण सेवाएं प्रदान करती है, को सहायक अनुदान के रूप में 64.90 लाख रू0 की राषि उपलब्ध करवाई गई जिनका ब्यौरा निम्न प्रकार से है :–

क्रमांक	संस्था का नाम	स्वीकृत राषि (रू0 लाखों में)
1.	हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिशद,चण्डीगढ़	39.90
2.	भारतीय ग्रामीण महिला संघ, पंचकूला	25.00
कुल		64.90

16. षून्य सहनषीलता नीति अपनाने व महिलाओं से छेडछाड के विरूद्ध उठाये गये कदम।

विभाग द्वारा राज्य के सभी उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों, महानिदेषक पुलिस व मण्डल आयुक्तों को हिदायत जारी की गई कि वह महिलाओं तथा बालिकाओं के विरूद्ध हिंसा से संबंधित केसों को निपटाने के लिए षून्य सहनषीलता नीति को अपनायें ।

महिला एंव बाल विकास विभाग द्वारा सभी संबंधित विभागों में जैसे की पुलिस, परिवहन, जनसम्पर्क तथा षिक्षा को सार्वजनिक स्थानों, बाजारों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेषन, सिनेमा घरों तथा धार्मिक स्थानों पर महिलाओं/ बालिकाओं के साथ छेडछाड रोकने के लिए निर्देष जारी किए गए ताकि उनकी सुरक्षा सुनिष्चित की जा सके ।

17. तेजाब से पीडित महिलाओं के लिए राहत तथा पुनर्वास योजना ।

विभाग द्वारा तेजाब से पीडित महिलाओं के लिए राहत तथा पुनर्वास योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत जिला बोर्ड जिसके अध्यक्ष जिला मजिस्ट्रेट एंव राज्य बोर्ड जिसके अघ्यक्ष महिला एंव बाल विकास मंत्री हैं के माध्यम से उन तेजाब से प्रभावित पीडितों को जो हरियाणा के निवासी हैं सहायता प्रदान की जाती है । सरकार

द्वारा इस योजना को संषोधित किया गया है जिसके अनुसार योजना के तहत 25000 रूपये की वित्तीय सहायता संबंधित जिला उपायुक्त/ उप मण्डल अधिकारी द्वारा तुरंत तद्धर्थ अधार पर पुलिस में षिकायत दर्ज होने उपरांत महिला एंव बाल विकास विभाग के द्वारा प्रदान की जाती है तथा पीडित महिला की मृत्यु हो जाने पर 5.00 लाख रूपये मृतक के कानूनी वारिष को देने के साथ–साथ उनका 100 प्रतिषत निःषुल्क इलाज तथा प्लास्टिक सर्जरी करवाने की सुविधा भी प्रदान की गई है । वर्श 2012–13 में रोहतक की कुमारी प्रेरणा तथा कुमारी रीतू को 25000–25000 रू0 की तद्धर्थ सहायता प्रदान की गई।

18. घरेलू हिंसा के विरूद्ध महिला सुरक्षा अधिनियम

हरियाणा सरकार द्वारा प्रत्येक जिला पुलिस मुख्यालय पर महिलाओं व बच्चों के लिए विषेश कक्ष स्थापित किए गए है। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 तथा बाल विवाह प्रतिशेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत संरक्षण एवं बाल विवाह रोकथाम अधिकारी की नियुक्ति की गई है। हरियाणा राज्य में जिला स्तर पर 21 संरक्षण एवं प्रतिशेध अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के अन्तर्गत 23 संगठनों को सेवा प्रदाता के रूप में रजिस्टर्ड किया गया है टाटा इंसटीट्यूट आफ साषॅल साइंस के विषेशज्ञों द्वारा घरेलू हिंसा को रोकने के लिए संरक्षण अधिकारियों को ट्रेनिग दी जाती है। 2012–13 में टाटा इंसटीट्यूट आफ साषॅल साइंस द्वारा हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन करनाल में 3 दिन की ट्रेनिग दी गई।

वर्श 2012–13 में संरक्षण अधिकारियों के द्वारा घरेलू हिंसा के तहत 7306 षिकायतें दर्ज की गई जिनमें से 2280 षिकायतों की क्वउमेजपब प्दबपकमदज त्मचवतज भरी गई तथा 2748 षिकायतों का पारस्परिक समाधान किया गया । 203 बाल विवाह रूकवाये गये तथा 23 षिकायतें पुलिस को आगामी कार्यवाही के लिए भेजी गई ।

19. कामकाजी महिला होस्टल

कामकाजी महिलाओं को किफायती दरों पर सुरक्षित आवास उपलब्ध करवाने के लिए राज्य के 14 जिलों में 17 कामकाजी महिला होस्टल रैडक्रास सोसाइटी/नगरपालिकाओं/संस्थाओं द्वारा अम्बाला (2), भिवानी, फरीदाबाद, गुड़गांव, हिसार (2), जीन्द, जगाधरी, करनाल, कुरूक्षेत्र, पंचकूला, रोहतक (2), रिवाड़ी, पानीपत तथा सिरसा में चलाए जा रहे हैं।

20. महिला मण्डल से सम्बन्धित योजनांए

महिला मण्डलों से संबंधित योजनाओं जिनके नाम महिला सम्मेलन स्कीम, महिला मण्डलों को प्रोत्साहन पुरस्कार, अर्न्तराज्जीय महिला मण्डल अध्ययन दौरा कार्यक्रम है, चलाई जा रही है। महिला मण्डल अध्ययन दौरा कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं को घर से दूर अन्य राज्यों में ले जाकर महिलाओं से संबंधित आर्थिक उद्योग–धन्धों

आदि के बारे में विचार विर्मष करके व दिखाकर लाभ उठायें जाने का अच्छा मौका प्रदान किया जाता है। इन महिलाओं को रास्ते में पढ़ने वाले ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थानों का भ्रमण भी करवाया जाता है। महिला मण्डलों को 5000/– रू0 प्रति महिला मण्डल प्रति वर्श वित्तिय सहायता दी जाती है। वर्श के दौरान अन्तर्राज्जीय महिला मण्डल अध्ययन दौरा कार्यक्रम के लिए 16.80 लाख रू0 की राषि खर्च की गई है। 21 जिलों में प्रति जिला एक दौरा कार्यक्रम की दर से 21 दौरा कार्यक्रम किये गये है।

21. परिणाम ढ़ांचा दस्तावेज (आर.एफ.डी.)

महिलाओं एवं बच्चों के लिए चलाई जा रही योजनाओं को सुदृढ बनाने के लिए विभाग ने परिणाम ढांचा दस्तावेज तैयार किया है जिसके अंतर्गत महिला सषक्तिकरण 6 वर्श से कम बच्चों का संरक्षण एवं विकास, आंगनवाडी केंद्रो का सर्वसुलभीकरण, कानून एवं कार्यक्रमो के माध्यम से जरूरतमंद बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण प्रदान करना, स्वास्थ एवं जीवन कौषल षिक्षा के माध्यम से किषोरियों का सषक्तिकरण करना आदि विशयो को प्राथमिकता दी गई।

परिणाम ढांचा दस्तावेज के माध्यम से विभन्न योजनाओं के तहत हो रही उपलब्धी की निगरानी उच्च स्तर के प्रंभधन द्वारा की जा सकती है।

दस्तावेज की प्रगति का मुल्यांकरण त्रिमासिक किया गया।

22. संचार एवं प्रचार

लोगों की मानसिकता में परिवर्तन लाने, सामाजिक बुराईयों को समाप्त करने, महिलाओं तथा बालिकाओं के स्तर में सुधार लाने के लिए संचार एवं प्रचार के अन्तर्गत व्यापक स्तर पर आई.ई.सी. गतिविधियां षुरू की गई है। अन्तराश्ट्रीय महिला दिवस, स्तनपान सप्ताह, राश्ट्रीय पोशाहार सप्ताह, बाल दिवस व राश्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर अखबारों में विज्ञापन देकर महिलाओं एवं बालिकाओं की योजनाओं का प्रचार किया गया। वर्श के दौरान प्रसार भारती, आकाषवाणी चण्डीगढ, रोहतक, हिसार, कुरूक्षेत्र तथा दिल्ली से घरेलू हिंस अधिनियम 2005, यौन अपराध अधिनियम 2012 तथा लाडली योजना से सम्बन्धित रेडियो जिंगलस का प्रसारण किया गया। इस योजना के अंतर्गत वर्श 2012–13 में 44.58 लाख रूपये की राषि व्यय की गई ।

विभाग में एक लघु पुस्तकालय भी है जिसमें वर्श 2012–13 के अन्त में 2700 पुस्तकें थी।

23. अमला

महिला एवं बाल विकास विभाग हरियाणा के नियन्त्रण में जो योजनाएं हैं, इनके अन्तर्गत मुख्यालय तथा क्षेत्रीय स्तर पर अमले की स्थिति को परिषिश्ट–'ख' पर दर्षाया गया है।

24. चौकसी

वर्श 2012–13 में चौकसी से सम्बन्धित मामलों की रिर्पोट षून्य है।

25. हरियाणा महिला विकास निगम

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं की सामाजिक– आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए महिलाओं के विकास की गतिविधियों को विकसित करने, जागृति जागरण, व्यवसायिक प्रषिक्षण व स्वरोजगार स्थापित करने के लिए संस्थागत वित्त का

प्रबन्ध करने हेतू हरियाणा महिला विकास निगम कार्यरत है। निगम की अधिकृत हिस्सापूंजी 30 करोड़ रु0 है।

वर्श 2012–13 में ऋण योजना के अन्तर्गत 764 महिलाओं को कवर किया गया।

(क) बालिका षिक्षा ऋण योजना

राज्य सरकार द्वारा लड़कीयों/महिलाओं के लिए आसान षिक्षा ऋण योजना लागू है जिसके अन्तर्गत लड़कियों/महिलाओं को देष/विदेष में उच्च षिक्षा जैसे कि ग्रेजुएट/पोस्ट–ग्रेजुएट/ डाक्टरल/पोस्ट डाक्टरल स्तर के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए षिक्षा ऋण प्रदान किये जाते है। जिसमें ब्याज सबसीडी 5 प्रतिषत वार्शिक प्रदान की जाती है। वर्श 2012–13 तक विभिन्न बैंकों द्वारा 649 लाभपात्रों को ऋण सबसीडी जारी की गई तथा 1.45 करोड रूपये की राषि खर्च की गई।

(ख) वुमैन अवेयरनैस एण्ड मैनेजमैन्ट अकादमी –'वामा'

राई ;जिला सोनीपतद्ध में आधारभूत महिला कार्यकर्ताओं के प्रषिक्षण के लिए वूमैन अवेयरनैस एण्ड मैनजमैंट अकादमी 'वामा' चलाई जा रही है। राज्य सरकार ने इस संस्था को अपग्रेड करके रीजनल लेवल जैण्डर ट्रेनिंग इन्सटीच्यूट बनाया है जिसमें जैण्डर संवेदनषीलता विशयों पर प्रषिक्षण दिया जाता है। वर्श के दौरान संस्था द्वारा 214 आंगनवाडी वर्कर तथा 1114 आंगनवाडी हैल्परों को जॉब ट्रैनिग व 365 सुपरवाईजर 259 आंगनवाडी वर्कर तथा 338 हैल्परों को रिफरेसर ट्रैनिग दी गई।

26. हरियाणा राज्य महिला आयोग

महिलाओं के हितों एवं अधिकारों की रक्षा करने तथा उनके समुचित विकास के लिए हरियाणा सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक 3055–एस0 डब्ल्यू0 (4) 99, दिनांक 20–12–99 के अन्तर्गत राज्य महिला आयोग का गठन किया गया। आयोग की संरचना में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 4 गैर सरकारी सदस्य, 2 पदैन सदस्य एवं सदस्य सचिव षामिल है। वर्श 2012–13 में आयोग को कुल 528 षिकायते प्राप्त हुई जिसमें से 490 षिकायतों को निपटान कर दिया गया। इसके अतिरिक्त समाचार पत्रों में छपी खबरों में 150 पर संज्ञान लिया गया जिनका निपटान भी किया गया। वर्श 2012–13 मे 40 लाख रू0 की राषि व्यय की गई।

27. हरियाणा राज्य समाज कल्याण बोर्ड को वित्तीय सहायता

राज्य सरकार द्वारा हरियाणा राज्य समाज कल्याण बोर्ड को मुख्यालय स्थापना व्यय का 50 प्रतिशत तथा चेयरमैन के भत्ते, पी.ओ.एल, आदि के व्यय के लिए शत–प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्श 2012–13 में समाज कल्याण बोर्ड को 44.50 लाख रु0 की राषि मुख्यालय स्थापना के लिए तथा चेयरमैन के व्यय के लिए प्रदान की गई।

28. भारत सरकार की सहायक अनुदान योजनाएं

(क) उज्जवला

महिलाओ तथा बच्चों के अनैतिक व्यापार के षिकार तथा उनके पुर्नवास के उददेष्य से यह योजना चलाई जा रही है। यह केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है जिसका

व्यय भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है। पीड़ितों को सुरक्षित आवास मूलभूत सेवाएं, चिकित्सा देखरेख, कानूनी सहायता, व्यवसायिक प्रषिक्षण और आय उत्पादन गतिविधियां देकर पुर्नवास प्रदान करना, पीड़ितों को समाज के साथ पुनः जोडना, सीमा पार से आने वाले पीड़ितों को सुरक्षित रूप से अपने मूल देष वापिस जाने के लिये सुविधा प्रदान करना स्कीम का मुख्य उददेष्य है । योजना के अंर्तगत भारत सरकार को 6 केसिज विचारार्थ भेजे गये हैं ।

(ख) स्वाधार

भारत सरकार द्वारा यह योजना कठिन परिस्थितियों में रहने वाली उपेक्षित महिलाओं/बालिकाओं को आश्रय, भोजन, कपड़े जिनके पास कोई सामाजिक व आर्थिक सहायता नहीं है, उपलब्ध करवाने, उन्हें षिक्षा जागरूकता आदि द्वारा भावनात्मक परामर्ष प्रदान करते हुए सामाजिक तथा आर्थिक दृश्टि से पुर्नवास प्रदान करने व जरूरतमंद महिलाओं, बालिकाओं को कानूनी तथा अन्य समर्थन प्रदान करना तथा उन्हें हैल्प लाईन या अन्य सुविधायें प्रदान करने के उद्देष्य से चलाई जा रही है। वर्तमान में गुड़गाव में एक स्वाधार ग्रह आदर्ष ग्रामीण समिति द्वारा चलाया जा रहा है ।

29. विधवा एवं निराक्षित महिलाओं के प्रषिक्षण केन्द्र

महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा द्वारा रोहतक, करनाल व फरीदाबाद में विधवा/निराक्षित महिलाओं एवं उन पर आश्रित बच्चों के लिए गृह एवं प्रषिक्षण केन्द्र चलाये जा रहे है। इन गृहों में नौजवान विधवा महिलाओं तथा ऐसी महिलायें जिनके पति द्वारा उन्हें छोड़ दिया गया हो तथा उनका कमाऊ पुत्र न हो, न ही कोई पुरूश रिष्तेदार सहायता करने वाला हो को प्रवेष दिया जाता है। ऐसी महिलाओं जिनके पति क्षयरोग जैसी भंयकर बीमारी से पीड़ित हों अथवा मानसिक रोग से पीड़ित हो तथा कमाने की स्थिति में नही और उनके परिवार की देखभाल करने वाला कोई न हो को भी प्रवेष दिया जाता है। इन गृहों में संवासियों को आवास, षिक्षण–प्रषिक्षण की सुविधायें मुफ्त प्रदान की जाती है तथा प्रत्येक संवासी को 600/– रू0 प्रतिमास गुजारा भत्ता व 150/– रू0 प्रतिमास प्रति व्यक्ति कपड़ा भत्ता दिया जाता है। अकेली महिला संवासी को प्रतिमास 700/– रू0 गुजारा एवं 150/– रू0 कपड़ा भत्ता दिया जाता है। संवासियों को गृह के अंतर्गत चलाये जा रहे प्रषिक्षण एवं उत्पादन केन्द्रों में प्रषिक्षण दिया जाता है ताकि वह अपनी आमदनी में बढ़ौतरी कर सके। संस्था में रह रही महिलाओं के बच्चों को षिक्षा प्रदान करने की मुफ्त सुविधायें प्रदान की जाती हैं और उनको हर सम्भव प्रोत्साहन दिया जाता है। षादी योग्य लड़कियों की षादी में 15,000/– रू0 सहायक अनुदान के रूप में दिये जाते है वर्श 2012–13 में उपरोक्त संस्थाओं में लाभपात्रों की स्थिति निम्न प्रकार थीः–

क्र0सं0	संस्था का नाम	संवासी	आश्रित	कुल लाभपात्र

1ण	महिला आश्रम, रोहतक	40	51	91
2ण	महिला आश्रम, करनाल	50	59	109
3ण	कस्तूरबा सेवा सदन, फरीदाबाद	16	25	41
	कुल	**106**	**135**	**241**

वर्श 2012–13 में इन संस्थाओं पर कुल 152.95 लाख रू0 खर्च हुए।

30. राजकीय उत्तर रक्षा (कन्या) करनाल

इस गृह की स्थापना 1982 में की गई तथा संस्था में 12 से 40 वर्श आयु की महिलाओं/लड़कियों को जिन्हें सुधार गृहों से रिहा किया जाता है और उनको नैतिक खतरों से सुरक्षा की आवष्यकता हो या पति/पिता लंबी अवधि के लिये कारागार में हो, को प्रवेष दिया जाता है। इस संस्था में संवासियों को आवास, भोजन, वस्त्र आदि सभी सुविधायें मुफ्त प्रदान की जाती है और उसे समाज का अच्छा नागारिक बनाने एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिये निम्नलिखित प्रयत्न किये जाते हैः–

1. अविवाहित लड़कियों/युवा महिलाओं की योग्य व्यक्तियों के साथ षादी करना।
2. योग्यता अनुसार किसी एक क्षेत्र में प्रषिक्षण दिलवाना।
3. सरकारी/गैर सरकारी संस्थानों में रोजगार दिलवाना।
4. उनके माता–पिता या संरक्षकों के पास वापिस भेजना आदि।
5. विवाह योग्य संवासी के विवाह के समय 15,000/– रू0 की (12,000/– रू0 षादी खर्च व 3000/– रू0 संवासी के नाम अवधि जमा के रूप में) सहायता प्रदान करना।

वर्श 2012–13 के दौरान 322 संवासियों को प्रवेष दिया गया। संस्था में प्रतिदिन कोर्ट के माध्यम से संवासी प्रवेष/रिहा किये जाते है। वर्श 2012–13 में इस योजना पर 23.80 लाख रू0 खर्च किये गये।

————————

परिषिश्ट– 'क'

बजट व्यवस्था 2012–13													
ैतण छवण	छंउम व जीम ैबीमउमण	।चचतवअमक ठनकहमज 2012.13				त्मअपेमक ठनकहमज 2012.13				म्ग्चमदकपजनतम नचजव 03ध्2013			
		ैजंजम च्संद	ब्मदजतंस च्संद	छवद च्संद	ज्वजंस	ैजंजम च्संद	ब्मदजतंस च्संद	छवद च्संद	ज्वजंस	ैजंजम च्संद	ब्मदजतंस च्संद	छवद च्संद	ज्वजंस
1	2	3	4	5	6								
	ैव्ब्।स् ॅम्स्थ्।त्म् ैम्ब्ज्व्त्												
	प् क्प्त्म्ब्ज्व्त्छ – ।क्डप्छैज्त्।ज्प्व्छ												
1	ैजंि वित भ्मंकुनंतजमत – प्प्ज्प् च्संदण	10ण00	0ण00	385ण25	**395ण25**	10ण00	0ण00	342ण10	**352ण10**	1ण70	0ण00	335ण99	**337ण69**
2	ब्वउउनदपबंजपवद – च्नइसपबपजल ;च्संददपदह.बनउ. डवदपजवतपदह ब्मससद्धण	30ण00	0ण00	0ण00	**30ण00**	45ण00	0ण00	0ण00	**45ण00**	44ण58	0ण00	0ण00	**44ण58**
	ज्वजंस रू	**40ण00**	**0ण00**	**385ण25**	**425ण25**	**55ण00**	**0ण00**	**342ण10**	**397ण10**	**46ण28**	**0ण00**	**335ण99**	**382ण27**
	प्प् ब्म्स्क् ॅम्स्थ्।त्म्												
3	प्ब्क्ैण												
प	ठमेज डवजीमते ूतक	26ण77	0ण00	0ण00	**26ण77**	26ण77	0ण00	0ण00	**26ण77**	26ण77	0ण00	0ण00	**26ण77**
पप	ैचवतज डममज	39ण38	0ण00	0ण00	**39ण38**	39ण38	0ण00	0ण00	**39ण38**	39ण38	0ण00	0ण00	**39ण38**
पपप	ैडै	15ण00	0ण00	0ण00	**15ण00**	15ण00	0ण00	0ण00	**15ण00**	15ण00	0ण00	0ण00	**15ण00**
पअ	टस्ब्	14ण00	0ण00	0ण00	**14ण00**	14ण00	0ण00	0ण00	**14ण00**	14ण00	0ण00	0ण00	**14ण00**
अ	थ्नतदपजनतमै;उंसस ज्ंइसम बैंपतद्ध	545ण80	0ण00	0ण00	**545ण80**	545ण80	0ण00	0ण00	**545ण80**	545ण80	0ण00	0ण00	**545ण80**
अप	थ्नतदपजनतम;थ्वत बपतबसम वपिपिबमेद्ध	0ण00	0ण00	0ण00	**0ण00**	200ण00	0ण00	0ण00	**200ण00**	0ण00	0ण00	0ण00	**0ण00**
अपप	ैूपदहे	100ण00	0ण00	0ण00	**100ण00**	100ण00	0ण00	0ण00	**100ण00**	42ण47	0ण00	0ण00	**42ण47**
अपपप	ैमग त्ंजपव	10ण00	0ण00	0ण00	**10ण00**	10ण00	0ण00	0ण00	**10ण00**	10ण00	0ण00	0ण00	**10ण00**
पग	छनजतपजपवद ूतक	3ण50	0ण00	0ण00	**3ण50**	3ण50	0ण00	0ण00	**3ण50**	3ण50	0ण00	0ण00	**3ण50**
	ज्वजंस रूप्ब्क्ैैबीमउम	**754ण45**	**0ण00**	**0ण00**	**754ण45**	**954ण45**	**0ण00**	**0ण00**	**954ण45**	**696ण92**	**0ण00**	**0ण00**	**696ण92**
4	स्।क्स्प्	5000ण00	0ण00		**5000ण00**	7312ण55	0ण00	0ण00	**7312ण55**	6981ण84	0ण00	0ण00	**6981ण84**

5	श्रींत ठंस ठींदण	0ण00	0ण00	0ण10	0ण00	0ण00	0ण00	0ण10	**0ण10**	0ण00	0ण00	0ण10	**0ण10**
6	झपीवतपे ीाजप ल्वरंदंण	0ण00	80ण00	0ण00	**80ण00**	0ण00	75ण00	0ण00	**75ण00**	0ण00	57ण41	0ण00	**57ण41**
7	प्उचतवअपदह प्ददिजे – ल्वनदह बिपसक थ्ममकपदहण	20ण00	0ण00	0ण00	**20ण00**	20ण00	0ण00	0ण00	**20ण00**	19ण59	0ण00	0ण00	**19ण59**
8	ूंतके वित त्नतंस ।कवसमेबमदज ळपतसे	8ण00	0ण00	0ण00	**8ण00**	8ण00	0ण00	0ण00	**8ण00**	5ण54	0ण00	0ण00	**5ण54**
9	ळतंदज पद ंपक जव टवसनदजंतल व्तहंदपेंजपवदए बिपसकतमद टपसरंहमए बींबीीतंनसप	0ण00	0ण00	1ण25	**1ण25**	0ण00	0ण00	1ण25	**1ण25**	0ण00	0ण00	1ण25	**1ण25**
10	ॅमसतिम व िक्मेजपजनजम बिपसकतमद ेमतअपबमे पद दममक व ितम – च्तवजमबजपवद	0ण00	0ण00	98ण66	**98ण66**	0ण00	0ण00	82ण04	**82ण04**	0ण00	0ण00	30ण62	**30ण62**
11	भ्वसपकंल भ्वउमे	0ण00	0ण00	1ण30	**1ण30**	0ण00	0ण00	1ण30	**1ण30**	0ण00	0ण00	1ण30	**1ण30**
12	ैण्व्ैण बिपसकतमदश्े टपससंहमए तंप ैंवदमचंजद्ध	0ण00	0ण00	37ण00	**37ण00**	0ण00	0ण00	56ण27	**56ण27**	0ण00	0ण00	37ण00	**37ण00**
13	ैजंजम व्तचींदंहम	0ण00	0ण00	40ण00	**40ण00**	0ण00	0ण00	58ण51	**58ण51**	0ण00	0ण00	40ण00	**40ण00**
14	ॅमसतिम व िैजतममज बिपसकतमद	0ण00	0ण00	70ण00	**70ण00**	0ण00	0ण00	5ण00	**5ण00**	0ण00	0ण00	0ण00	**0ण00**
15	ळतंदज पद ंपक जव टवसनदजंतल व्तहंदपेंजपवद ूवतापदह पद जीम पिमसक व ि बिपसक ॅमसतिम ;श्रनअमदपसम श्रनेजपबम थ्नदकद्ध	10ण00	0ण00	0ण00	**10ण00**	10ण00	0ण00	0ण00	**10ण00**	10ण00	0ण00	0ण00	**10ण00**
16	ैापसस ठनपसकपदह ंदक त्मींइपसपजंजपवद व ि श्रनअमदपसम.म्ग्जंइसपेीउमदज व ि ूवतौीवचए स्पइतंतलए च्संल ळतवनदक मजबण	1ण00	0ण00	0ण00	**1ण00**	1ण00	0ण00	0ण00	**1ण00**	0ण00	0ण00	0ण00	**0ण00**
17	ैबीमउम वित थ्पदंदबपंस ।ेपेजंदबम ंदक ैनचचवतज ैमतअपबमे जव जीम टपबजपउे व ित्चिम	0ण00	200ण00	0ण00	**200ण00**	0ण00	10ण00	0ण00	**10ण00**	0ण00	0ण00	0ण00	**0ण00**

18	तंरममअ ळंदकीप ैबीमउम वित म्उचवूमतउमदज व ि।कवसमेबमदज ळपतसे ;त्ळैम्।ळद्ध . ै।ठस्।	0ण00	170ण00	0ण00	**170ण00**	0ण00	170ण00	0ण00	**170ण00**	0ण00	120ण34	0ण00	**120ण34**
19	ैजंजम ब्वउउपेपवद वित च्तवजमबजपवद व िबिपसक त्पहीजे	0ण00	0ण00	0ण00	**0ण00**	0ण00	0ण00	30ण00	**30ण00**	0ण00	0ण00	0ण00	**0ण00**
	ज्वजंस रू	**5039ण00**	**450ण00**	**248ण31**	**5737ण21**	**7351ण55**	**255ण00**	**234ण47**	**7841ण02**	**7016ण97**	**177ण75**	**110ण27**	**7304ण99**
ैतण छवण	**छंउम व िजीम ैबीमउमण**	**।चचतवअमक ठनकहमज 2012.13**				**त्मअपेमक ठनकहमज 2012.13**				**म्गचमदकपजनतम नचजव 03द्ध2013**			
		ैजंजम च्संद	**ब्मदजतंस च्संद**	**छवद च्संद**	**ज्वजंस**	**ैजंजम च्संद**	**ब्मदजतंस च्संद**	**छवद च्संद**	**ज्वजंस**	**ैजंजम च्संद**	**ब्मदजतंस च्संद**	**छवद च्संद**	**ज्वजंस**
	प्प्प् ॅव्डम्छ ॅम्स्थ्।त्म्												
19	ैजतमदहजीमदपदह व िटवसनदजंतल ैमबजवत ;त्तंपदपदह.बनउ. च्तवकनबजपवद ब्मदजतम – ैजपचमदकंतल ैबीमउमेद्ध	100ण00	0ण00	0ण00	**100ण00**	100ण00	0ण00	0ण00	**100ण00**	98ण85	0ण00	0ण00	**98ण85**
20	ब्वदेजतनबजपवद व िॅवतापदह ॅवउमद भ्वेजमसेण	0ण00	0ण00	29ण80	**29ण80**	0ण00	0ण00	8ण64	**8ण64**	0ण00	0ण00	0ण00	**0ण00**
21	प्दबमदजपअम ;ूतके जव डीपसं ैउववी	0ण00	0ण00	33ण00	**33ण00**	0ण00	0ण00	30ण00	**30ण00**	0ण00	0ण00	22ण71	**22ण71**
22	ळमदकमत ैमदेपजप्रंजपवदण	15ण00	0ण00	0ण00	**15ण00**	15ण00	0ण00	0ण00	**15ण00**	14ण76	0ण00	0ण00	**14ण76**
23	क्पेजजण – ठसवबा स्मअमस ैजंि व िॅवउमद ॅपदहण	0ण00	0ण00	10ण89	**10ण89**	0ण00	0ण00	13ण48	**13ण48**	0ण00	0ण00	14ण28	**14ण28**
24	प्दकपतं डीपसं ल्वरदं त्मदंउम ॅैूलंउेपकीं	0ण00	1ण00	0ण00	**1ण00**	0ण00	25ण00	0ण00	**25ण00**	0ण00	0ण00	0ण00	**0ण00**
25	ैूअसंउइंद ;छब्ळ।क्द्ध	15ण00	0ण00	0ण00	**15ण00**	15ण00	0ण00	0ण00	**15ण00**	15ण00	0ण00	0ण00	**15ण00**
26	च्तवजमबजपवद व िॅवउमदश्े तिवउ क्वउमेजपब टपवसमदबम ;ैमजजपदह.नचव ि ब्मससेद्ध	100ण00	0ण00	0ण00	**100ण00**	100ण00	0ण00	0ण00	**100ण00**	85ण98	0ण00	0ण00	**85ण98**
27	थ्नजनतम ैमबनतपजल ैबीमउम व िप्देनतंदबम वित ।दहंदूंकप ॅवतामते ६ भ्मसचमतण	400ण00	0ण00	0ण00	**400ण00**	513ण00	0ण00	0ण00	**513ण00**	477ण85	0ण00	0ण00	**477ण85**

28	भ्वउम.बनउ.ज्तंपदपदह ब्मदजतमे वित क्मेजपजनजम ॅवउमद ंदक ॅपकवे	0ण00	0ण00	169ण00	**169ण00**	0ण00	0ण00	161ण34	**161ण34**	0ण00	0ण00	149ण72	**149ण72**
29	ैमजजपदह नच व िटवबंजपवदंस ज्तंपदपदह ब्मदजतमे वित ॅवउमद	0ण00	0ण00	1ण00	**1ण00**	0ण00	0ण00	1ण00	**1ण00**	0ण00	0ण00	0ण57	**0ण57**
30	ैबै कवसम जव वनजेपकम क्वसममे ६ प्दवितउंतपमेण	0ण00	0ण00	0ण20	**0ण20**	0ण00	0ण00	0ण18	**0ण18**	0ण00	0ण00	0ण16	**0ण16**
31	डंपदजमदंदबम व िभ्वउम इल च्ॅक ;ठ—त्द्धण	0ण00	0ण00	4ण00	**4ण00**	0ण00	0ण00	4ण00	**4ण00**	0ण00	0ण00	2ण50	**2ण50**
32	ैजंजम ।जिमत ब्ंतम भ्वउम वित ळपतसेए ज्ञंतदंस	0ण00	0ण00	47ण15	**47ण15**	0ण00	0ण00	27ण57	**27ण57**	0ण00	0ण00	23ण80	**23ण80**
33	भ्वउम.बनउ.टवबंजपवदंस ज्तंपदपदह च्तवकनबजपवद ब्मदजतमे वित ल्वनदह ळपतसेध् ॅवउमद ंदक क्मेजपजनजम ॅवउमद ंदक ॅपकवेण	30ण00	0ण00	0ण00	**30ण00**	58ण00	0ण00	0ण00	**58ण00**	66ण49	0ण00	0ण00	**66ण49**
34	त्मसपम—ि त्मींइपसपजंजपवद व िॅवउमद ।बपक टपबजपउे	25ण00	0ण00	0ण00	**25ण00**	5ण00	0ण00	0ण00	**5ण00**	0ण50	0ण00	0ण00	**0ण50**
35	छ।ठ।त्क् स्वंद वित बवदेजतनबजपवद व िॅब्ि	5332ण00	1ण00	0ण00	**5333ण00**	5800ण00	1ण00	0ण00	**5801ण00**	5799ण27	0ण00	0ण00	**5799ण27**
36	थ्पदंदबपपदह वित ैजतपलं ैीपलं ठपउं ल्वरंदं ;ैठल्द्ध	25ण00	0ण00	0ण00	**25ण00**	25ण00	0ण00	0ण00	**25ण00**	12ण72	0ण00	0ण00	**12ण72**
	प्टण् व्ज्भ्म्त् म्ग्च्म्छक्प्ज्न्त्म्								**0ण00**				
37	ळतंदज.पद.पक जव भ्तलंदं ैजंजम ैवबपंस ॅमसतिम ।कअपेवतल ठवंतक	0ण00	0ण00	39ण50	**39ण50**	0ण00	0ण00	44ण50	**44ण50**	0ण00	0ण00	44ण50	**44ण50**
38	भ्तलंदं ॅवउमद क्मअमसवचउमदज ब्वतचवतंजपवदण	0ण00	0ण00	150ण00	**150ण00**	0ण00	0ण00	150ण00	**150ण00**	0ण00	0ण00	150ण00	**150ण00**
	;द्ध ैनइेपकल	200ण00	0ण00	0ण00	**200ण00**	200ण00	0ण00	0ण00	**200ण00**	200ण00	0ण00	0ण00	**200ण00**
	इद्ध ैीतम ब्ंचपजंस	50ण00	0ण00	0ण00	**50ण00**	50ण00	0ण00	0ण00	**50ण00**	0ण00	0ण00	0ण00	**0ण00**
39	भ्तलंदं ैजंजम ब्वउउपेपवद वित ॅवउमदण	0ण00	0ण00	40ण00	**40ण00**	0ण00	0ण00	40ण00	**40ण00**	0ण00	0ण00	40ण00	**40ण00**
40	थ्पदंदबपंस ।ेपेजंदबम जव ॅवउमद ॅंतदमे — डंदंहमउमदज	40ण00	0ण00	0ण00	**40ण00**	49ण00	0ण00	0ण00	**49ण00**	49ण00	0ण00	0ण00	**49ण00**

	।बंकमउल ॅ; ।ड ।द्भण												
	प्उचसमउमदजंजपवद वि श्रश्र ।बज												
42	श्रनअमदपसम ठवंतके	0ण00	0ण00	24ण20	**24ण20**	0ण00	0ण00	2ण58	**2ण58**	0ण00	0ण00	2ण43	**2ण43**
	ज्वजंस	**6332ण00**	**2ण00**	**548ण74**	**6882ण74**	**6930ण00**	**26ण00**	**483ण29**	**7439ण29**	**6820ण42**	**0ण00**	**450ण67**	**7271ण09**
	ज्वजंस रू ैजंजम च्संदैबीमउम रू	**12165ण45**	**452ण00**	**1182ण30**	**13799ण65**	**15291ण00**	**281ण00**	**1059ण86**	**16631ण86**	**14580ण59**	**177ण75**	**896ण93**	**15655ण27**

ैतण छवण	छंउम व िजीम ैबीमउमण	।चचतवअमक ठनकहमज 2012.13				त्मअपेमक ठनकहमज 2012.13				म्गचमदकपजनतम नचजव 03ध्2013			
		ैजंजम च्संद	ब्मदजतंस च्संद	छवद च्संद	ज्वजंस	ैजंजम च्संद	ब्मदजतंस च्संद	छवद च्संद	ज्वजंस	ैजंजम च्संद	ब्मदजतंस च्संद	छवद च्संद	ज्वजंस
	ंतपदह ईपे`बीमउम												
43	प्ब्ै	1761ण85	21648ण15	9254ण85	**32664ण85**	2228ण00	20559ण00	9493ण30	**32280ण30**	2140ण49	19264ण38	9240ण72	**30645ण59**
44	ैमजजपदह नच व ि।दहंदूंकप ज्तंदपदह ब्मदजतमे ;न्ब्ैद्ध। च्तवरमबजद्ध	40ण00	360ण00	0ण00	**400ण00**	40ण00	360ण00	0ण00	**400ण00**	25ण51	198ण24	0ण00	**223ण75**
45	त्मउंदकध्व्इेमतअंजपवद भ्वउम	174ण00	0ण00	143ण30	**317ण30**	174ण00	0ण00	118ण21	**292ण21**	2ण94	0ण00	110ण87	**113ण81**
46	ैजंजम ।जिमत ब्ंतम भ्वउम .बनउ. च्तवकनबजपवद नदपज वित ठवले ;ैवदमचंजद्ध	0ण00	0ण00	36ण60	**36ण60**	0ण00	0ण00	23ण90	**23ण90**	0ण00	0ण00	18ण99	**18ण99**
47	ैचमबपंस भ्वउम ६ ैबीववस ; ।उइंसंद्ध	0ण00	0ण00	13ण43	**13ण43**	0ण00	0ण00	12ण10	**12ण10**	0ण00	0ण00	11ण00	**11ण00**
48	ळतंदज.पद.पक जव टवसनदजंतल व्तहंदपेंजपवद वित `मजजपदह व िश्रनअमदपसम ६ व्इेमतअंजपवद भ्वउमे नदकमत श्रश्र ।बज	0ण00	0ण00	15ण00	**15ण00**	0ण00	0ण00	40ण00	**40ण00**	0ण00	0ण00	28ण84	**28ण84**
49	प्ब्ै	150ण50	1157ण00	0ण00	**1307ण50**	361ण00	750ण00	0ण00	**1111ण00**	353ण14	748ण85	0ण00	**1101ण99**
50	ैजंजम ॅवउमद म्उचवूमतउमदज डपेपवद	5ण00	15ण00	0ण00	**20ण00**	5ण00	15ण38	0ण00	**20ण38**	5ण00	15ण38	0ण00	**20ण38**
51	डींजउं ळंदकीप ॅूसंउइंद च्मदेपवद ल्वरदं	1ण00	1ण00	0ण00	**2ण00**	1ण00	1ण00	0ण00	**2ण00**	0ण00	0ण00	0ण00	**0ण00**
	ज्वजंस ंतपदह ईपे`बीमउम	**2132ण35**	**23181ण15**	**9463ण18**	**34776ण68**	**2809ण00**	**21685ण38**	**9687ण51**	**34181ण89**	**2527ण08**	**20226ण85**	**9410ण42**	**32164ण35**
	ज्वजंस रू ैवबपंस ॅमसतिम `मबजवत	**14297ण80**	**23633ण15**	**10645ण48**	**48576ण33**	**18100ण00**	**21966ण38**	**10747ण37**	**50813ण75**	**17107ण67**	**20404ण60**	**10307ण35**	**47819ण62**
	छनजतपजपवद ैमबजवत												
1	ैनचचसलउमदजंतल छनजतपजपवद च्तवहतंउउम ;प्द प्ब्ैद्धण	7994ण20	8340ण00	122ण15	**16456ण35**	7700ण00	7700ण00	116ण00	**15516ण00**	7650ण55	7650ण55	108ण58	**15409ण68**
2	ज्ञपीवतप ंीजप ल्वरदंण	500ण00	0ण00	0ण00	**500ण00**	300ण00	0ण00	0ण00	**300ण00**	278ण02	0ण00	0ण00	**278ण02**

3	तंरममअ ळंदकीप ॆबीमउम वित म्उचवूमतउमदज वि ।कवसमेबमदज ळपतसे ;त्ळैम ।ळद्ध. ॆइसं ;50रू50द्ध	1500ण00	1500ण00	0ण00	**3000ण00**	500ण00	500ण00	0ण00	**1000ण00**	438ण78	438ण78	0ण00	**877ण56**
4	प्दकपतं ळंदकीप डंजतपजअं ॆलिवह ल्वरंदं	0ण00	250ण00	0ण00	**250ण00**	0ण00	140ण00	0ण00	**140ण00**	0ण00	50ण35	0ण00	**50ण35**
	ज्वजंस रू छनजतपजपवद ॆमबजवत रू	**9994ण20**	**10090ण00**	**122ण15**	**20206ण35**	**8500ण00**	**8340ण00**	**116ण00**	**16956ण00**	**8367ण35**	**8139ण68**	**108ण58**	**16615ण61**
	ळतंदक ज्वजंस रू	**24292ण00**	**33723ण15**	**10767ण63**	**68782ण68**	**26600ण00**	**30306ण38**	**10863ण37**	**67769ण75**	**25475ण02**	**28544ण28**	**10415ण93**	**64435ण23**

परिषिश्ट– 'ख'

महिला एवं बाल विकास निदेषालय की मुख्यालय व क्षेत्रीय कार्यालयों पर 31–3–2013 को अमले की स्थितिः–

क्र. सं.	पद का नाम	मुख्यालय			क्षेत्रीय		
		स्वीकृत पद	भरे हुए पद	रिक्त पद	स्वीकृत पद	भरे हुए पद	रिक्त पद
	श्रेणी–I						
1	निदेषक, ;आई0ए0एसद्ध	1	1	.	.	.	.
2	अपर निदेषक	2	2	.	.	.	.
3	सयुंक्त निदेषक	1	1	.	.	.	.
5.	वरिश्ठ लेखा अधिकारी	1	1	.	.	.	.
	श्रेणी–II						
6	उप निदेषक	4	.	4	.	.	.
7	लेखा अधिकारी	2	2	.	.	.	.
8	प्रचार अधिकारी	1	1	.	.	.	.
9	सहायक जिला न्यायवादी	1	.	1	.	.	.
10	कार्यक्रम अधिकारी	3	3	.	21	18	3
11	पोशाहारिका	1	1	.	.	.	.
12	अधीक्षक	5	5	.	21	14	7
13	मैनेजर, पंजीरी प्लांट	2	2	.	.	.	.
14	बाल विकास परियोजना अधिकारी	.	.	.	148	115	33
	श्रेणी–III						
15	अधीक्षक संस्था	.	.	.	7	7	.
16	उप–अधीक्षक	5	5	.	1	1	.
17	अनुभाग अधिकारी	2	2	.	.	.	.
18	निजी सहायक	1	1	.	.	.	.
19	अनुसंधान अधिकारी	1	1	.	.	.	.
20	सहायक प्रभारी	1	1	.	.	.	.
21	तकनीकी सुपरवाईजर	4	4	.	4	4	.
22	आंकडा सहायक	3	3	.	138	104	34
23	सहायक/लेखाकार	36	35	1	183	179	4
24	सुपरवाईजर	.	.	.	1016	535	481
25	सामान्य सुपरवाईजर	.	.	.	2	1	1

26	सुपरवाईजर (होम)	.	.	.	1	1	.
27	वस्त्राकार	.	.	.	3	1	2
28	बुनकर तकनीकी	.	.	.	1	1	.
29	बाटा इन्सट्रक्टर	.	.	.	1	1	.
30	अध्यापक सह सुपरवाईजर बी.ए.बी.एड.	.	.	.	1	1	.
31	चमड़ा तकनीकी	.	.	.	1	.	1
32	अध्यापक बी.ए.बी.एड	.	.	.	1	1	.
33	सीनियर स्केल स्टैनोग्राफर	2	2	.	.	.	.
34	जूनियर स्केल स्टैनोग्राफर	5	1	4	6	2	4
35	स्टैनों टाईपिस्ट	17	1	16	15	6	9
36	चालक	4	4	.	123	55	78
37	लिपिक	25	14	11	229	137	92
38	ग्राम सेविका	.	.	.	2	2	.
39	हैड वार्डन	.	.	.	3	2	1
40	वार्डन	.		.	17	13	4
	श्रेणी–प्ट						
41	सेवादार	25	18	7	185	120	65
42	चौकीदार	1	1	.	83	57	26
43	स्वीपर–कम–चौकीदार	2	2	.	3	.	3
44	श्रमिक	.	.	.	23	22	1
45	हैल्पर	.	.	.	1	.	1
46	स्वीपर	.	.	.	16	12	4
47	माली	.	.	.	5	4	1
48	रसोईया	.	.	.	8	2	6
49	महिला सह सहायक	.	.	.	3	1	2